**महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल/स्पीडपोस्ट**

**प्रेषक,**

**आयुक्त एवं सचिव,**
**राजस्व परिषद, उ0 प्र0,**
**कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।**

**सेवा में,**

**समस्त जिलाधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**संख्याः** 1449**/1-18-2012/क0सेल/27/08टीसी-1 दिनांकः** 28-12-**2012**

**विषयः** **तहसील स्तर से निर्गत किये जाने वाले आय, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0-987/1-18-2008/क0सेल/27/2008, दिनांक 14-8-2008, सं0-171/1-18-2009/क0सेल/27/2008, दिनांक 10 फरवरी 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य परिषदादेशों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आय, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों की numbering में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 11 अंकीय कोडिंग व्यवस्था लागू की गयी थी। पूर्व में निर्गत उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार 11 अंकीय उक्त कोडिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम 2 अंक जनपद, अगला एक अंक जनपद की तहसील संख्या (1 से 9 तक), अगले 2 अंक वर्ष तथा उसके उपरांत एक डिजिट/अंक प्रमाण-पत्र के लिये (अर्थात आय जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों) के लिये निर्धारित किया था। इसके उपरांत शेष 05 अंक (00001 से 99999 तक) प्रमाण-पत्र के क्रमांक के लिये निर्धारित किये गये थे।

उपर्युक्त के संबंध में कतिपय जनपदों से यह फीडबैक प्राप्त हुआ है कि प्रमाण-पत्र 05 अंकों से भी अधिक संख्या में निर्गत हो रहे हैं। तद्क्रम में उक्त सीमा से अधिक संख्या में निर्गत किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र के क्रमांक के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि-

**"दिनांक 31-12-2012 के उपरांत उ0 प्र0 में किसी भी तहसील से जारी होने वाला प्रमाण-पत्र (आय, निवास एवं जाति) का क्रमांक 12 अंको का होगा, जिसमें प्रथम 2 अंक जनपद (01से 75 तक), अगला एक अंक जनपद की तहसील संख्या (1 से 9 तक), अगले 2 अंक वर्ष (13 व इससे आगे) तथा उसके उपरांत एक डिजिट/अंक प्रमाण-पत्र के लिये (अर्थात 1-आय प्रमाण-पत्र, 2-निवास प्रमाण-पत्र, 3-पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र, 4-अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, 5-अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र तथा 6-विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र) के लिये निर्धारित किया गया है। इसके उपरांत शेष 06 अंक (000001 से 999999 तक**

**प्रमाण–पत्रों का कमांक) एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक लगातार जारी किये जायेंगे।**" तद्कम में उक्त कोडिंग व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी 2013 से व इससे आगे के कैलेन्डर वर्षों में 12 अंकीय होगी। उपरिवर्णित परिषदादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। परिषदादेशों की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अतः उंपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**( रजनीश गुप्ता )**
**आयुक्त एवं सचिव।**

**संख्या व दिनांक उपर्युक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी कम्प्यूटर, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त परिषदादेश परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

**आज्ञा से,**

**( विशाल भारद्वाज )**
**उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।**